कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
पं. खुशीलाल शर्मा, शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान,
(साइन्स हिल्स, मैनिट के पीछे, कोलार–नेहरू नगर रोड, भोपाल 462 003)

Website: - www.klsgaci.edu.in
e - mail: - Principal@Klsgaci.edu.in
दूरभाष क्रं. – 0755 – 2970310

क्रमांक / 2018 / स्था.कक्ष / 2404 भोपाल, दिनांकः 22/12/2018

/ / नियम एवं शर्ते / /

अंशकालिक आधार पर सर्जन, रेडियोलाजिस्ट, कार्डियोलाजिस्ट, एवं डेन्टिस्ट, माइक्रोबायोलाजिस्ट, फार्माकोलाजिस्ट की सेवाओं के अनुबंध हेतु।

1. महाविद्यालय स्वशासी समिति द्वारा पारित निर्णय के अनुक्रम में अनुबंधित आधुनिक चिकित्सा विशेषज्ञों को प्रत्येक कार्य दिवस (न्यूनतम–03 घण्टे) हेतु रूपये 1000/– (रूपये एक हजार मात्र) तथा सुपरस्पेशियालिटी डिग्री धारी हेतु रूपये 1500/– (रूपये पन्द्रह सौ मात्र) देय होगा।

2. यह अनुबंध अंशकालिक होगा, संबंधित पदों पर नियमित नियुक्ति होने के उपरांत अनुबंध स्वमेव ही समाप्त हो जायेगा।

3. संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष से उपस्थिति सत्यापन के पश्चात ही मानदेय का भुगतान अगले माह किया जायेगा।

4. बिना किसी पूर्व सूचना के निरंतर 06 कार्य दिवस तक अनुपस्थित रहने पर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा। जिसके लिये पृथक से सूचना देना आवश्यक नहीं होगा।

5. शासकीय अवकाश एवं अन्य सार्वजनिक अवकाश के दिनों में आवश्यकता अनुसार बुलाये जाने पर चिकित्सालय में उपस्थित होना होगा। जिसका भुगतान नियमित दिनों की भांति ही किया जायेगा।

6. किसी भी विवाद की स्थिति में प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान, भोपाल का निर्णय अन्तिम एवं बंधनकारी होगा।

7. यह सेवाएं पूर्णतः अंशकालिक अनुबंध मात्र है। अतः भविष्य में नियमितिकरण से संबंधित कोई भी दावा (क्लेम) मान्य नहीं होगा।

8. अंशकालिक विशेषज्ञ किसी भी हैसियत से संस्थान स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे ओर वह लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जायेंगे।

9. अनुबंधित विशेषज्ञ के कार्य दिवस एवं ड्यूटी रोस्टर समय–समय पर पृथक से जारी किये जायेंगे तदानुसार सेवाएं देनी होगी।

(डॉ. उमेश शुक्ला)
प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

D:\folder-Kautik\Rao\MS\--2